"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 492]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 सितम्बर 2023 — आश्विन 5, शक 1945

परिवहन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 सितम्बर 2023

अधिसूचना

कमांक एफ 5–6/आठ—परि./2022. — छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (1) के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार, पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में,-

द्वितीय अनुसूची के भाग–एक के सरल क्रमांक 6 के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)
′′6.	सकल यान भार 12000 किग्रा. से अनधिक के मालयान जिसकी कीमत—	
	(क) रू. 2.5 लाख से अनिधक है	
	(ख) रू. 2.5 लाख से अधिक है	यान की कीमत का 12%
	परन्तु इस संशोधन में अंतर्विष्ट कोई भी बात, उस मोटरयान पर लागू नहीं होगी, जो इस संशोधन के प्रवृत्त होने की तारीख से पहले पंजीकृत हो।	यान की कीमत का 10%''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.पी. पाण्डेय, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 22nd September 2023

NOTIFICATION

No. F 5-6/VIII-Trans./2022. – In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991, the same having been previously published as required by proviso of sub-section (1) of Section 23 of the said Adhiniyam, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said Adhiniyam,-

For serial number 6 of Part-I of the Second Schedule, the following serial number shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"6.	Goods carriage not more than 12000 kgs. Gross Vehicle weight, the cost of which	
	(a) Does not exceed Rs. 2.5 lacs	
	(b) Exceeds Rs. 2.5 lacs	12% of the cost of the Vehicle.
	Provided that nothing contained in this amendment shall apply to a Motor vehicle which is registered before the date on which this amendment comes into force.	1070 of the cost of vehicle.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, R.P. PANDAY, Deputy Secretary.